निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या : 98/2016-17

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, नई टिहरी **द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार** देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, नई टिहरी **के माह** मार्च 2013 अक्टूबर 2016 तक **लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो**श्री राजबहादुर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 29.11.2016 से 06.12.2016 तक श्री अविनाश चन्द्र कटियार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** **इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा** श्री अजय बहुगुणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 06.03.2013 से 11.03.2014 तक श्री बी.एस. चन्देल, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2002 से माह 02/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2013 से 10/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः -इकाई द्वारा सेना से सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए पेंशन योजना, द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों के लिए पेंशन एवं उनकी विधवाओं के लिए पेंशन, सैनिक विश्राम गृह का संचालन तथा उनके कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन आदि किया जाता है।

(इकाई द्वारा संचालित योजनाओं सहित क्रियाकलाप तथा भौगोलिक अधिकार क्षेत्र बताया जाय)

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

धनराशि ` लाख में

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/ आधिक्य	आवंटन	व्यय	बचत/ आधिक्य
2013-14	Nil	Nil	44.23	42.89	01.34	89.94	84.49	05.45
2014-15	Nil	Nil	46.87	45.90	00.97	105.21	96.92	08.29
2015-16	Nil	Nil	48.52	46.75	01.77	179.72	172.34	07.38
2016-17 (upto Oct)	Nil	Nil	52.15	33.38	18.77	115.89	65.00	50.89

वर्ष के अंत में अवशेष धनराशि समर्पित की जाती है।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित **योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः**

धनराशि ` लाख में

क्र.सं.	योजना का नाम	2014-15			2015-16		
		प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय
		-Nil-					

इकाई को बजट आवंटन निदेशक, सैनिक कल्याण (स्रोत बताया जाए) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई 'ब' श्रेणी की है

कार्यालय का संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार से है-:

सचिव, सैनिक कल्याण–निदेशक, जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, नई टिहरी

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, नई टिहरी **को आच्छादित किया गया।** (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा–निर्देशों के अनुसार जिन–जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाए। को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, नई टिहरी (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अंकित किया जाए) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2014 एवं 08/2015 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। सेवानिवृत्त सैनिकों के कल्याण के लिए विभिन्न पेंशन योजना, विश्राम गृह का संचालन, विश्राम गृह का निर्माण आदि (जिस योजना का चयन किया गया उसका नाम अंकित किया जाए) का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन यादृच्छिक आधार (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाए। के आधार पर किया गया।

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद -नाये गये नियंत्रकके अधीन ब 149 डी पी सी) 1971 ,अधिनियम (शक्तियां तथा सेवा की शर्ते ,कर्तव्य) महालेखापरीक्षक के 2007 ,लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम 13 की धारा (1971 ,एक्टतथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग–दो 'अ '

................शून्य...........

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 1-विभागीय शिथिलता के परिणामस्वरूप `लाख की धनराशि व्यय किए जाने के 97.83 ! उपरांत भी सैनिक विश्राम गृहों का निर्माण कार्य अपूर्ण रहना

प्रस्तर 2 : द्वितीय विश्व युद्ध के पेंशन योजना के लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन के अभाव में ` 245.53 लाख की धनराशि का अनियमित भुगतान तथा 10 लाभार्थियों को ` 4.58 लाख के पेंशन की धनराशि का भुगतान न किया जाना।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 1-विभागीय शिथिलता के परिणामस्वरूप `लाख की धनराशि व्यय किए जाने के 97.83 ! उपरांत भी सैनिक विश्राम गृहों का निर्माण कार्य अपूर्ण रहना

ज़िला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, टिहरी गढ़वाल के लेखाअभिलेखों की - नमूना जांच में पाया गया कि सैनिक विश्ाम गृह, घनसाली एवं सैनिक विश्राम गृह, जामनीखाल के निर्माण हेतु उत्तराखंड पेयजल निगम, चम्बा द्वारा तैयार किए गए प्रथम चरण के आगणन क्रमशः ` लाख एवं 7.75 ` लाख के सापेक्ष शासन स्तर से क्रमशः 7.84 ` 1.19 लाख एवं` लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति क्रमशः शासनादेश संख्या 1.19 /253XVII-3/11-09 10/(11) दिनांक 01.07.2011-तथा /(1)350XVII-3/11-09 (70)/10 दिनांक 18.08.2011-के द्वारा प्रदान की गयी थी उक्त स्वीकृत धनराशि संबन्धित कार्यदायी ! संस्था द्वारा मृदा परीक्षण, भूगर्भ सर्वे,ड्राइंग डिजाइन आदि पर अप्रैल तक व्यय की 2013 संप्रेक्षा के दौरान यह पाया गया कि उक्त दोनों निर्माण कार्यों हेतु द्वितीय चरण में !गयी /134- शासन स्तर से क्रमशः शासनादेश संख्याXVII-3/13-09(11)/10 दिनांक 25.03.13-एवं शासनादेश संख्या /133-XVII-3/13-09(11)/10 दिनांक 25.03.13-के द्वारा क्रमशः ` 96.64 लाख तथा`! लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी 96.91

उक्त के अनुपालन में ज़िला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, चम्बा के साथ उक्त निर्माण कार्यों के संबंध में दिनांक जिनके अनुसार उक्त दोनों ! किए गए .यू .ओ .एम को 17.05.2013 निर्माण कार्य`) लाख 193.28 ` की लागत में दिनांक (लाख प्रति विश्राम गृह 96.64 जबकि संप्रेक्षा के दौरान पाया गया कि ! तक पूर्ण किए जाने थे 31.10.2015उक्त दोनों निर्माण कार्यों पर कुल ` 97.83 लाख -श्राम गृहक्रमशः घनसाली वि)` + लाख 45.00 ` 1.19 लाख तथा जामनीखाल विश्राम गृह` 1.19+ लाख 50.45 लाखव्यय किए जाने के उपरांत (! तक भी उक्त निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किए जा सके थे 2016 भी संप्रेक्षा तिथि नवंबर

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर ज़िला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि सैनिक विश्राम गृह घनसाली के निर्माण स्थल पर खड़े वृक्षों के पातन में अधिक समय लगने, भूमि उपलब्ध न होने एवं कार्यदायी संस्था द्वारा समय से उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध न कराये जाने के कारण समय पर बजट प्राप्त न होने के कारण उक्त निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नहीं किए जा सके !

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्माण कार्य हेतु वांछित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के उपरांत ही संबन्धित कार्यदायी संस्था से एमकिया जाना .यू .ओ . चाहिए था तथा नियमित रूप से कार्यदायी संस्था से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए शासन स्तर से बजट अवमुक्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए दोनों निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण कराये जाने चाहिए थे जिसमे इकाई पूर्णतः विफल रही

जिसके परिणामस्वरूप उक्त दोनों निर्माण कार्य कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि व्यतीत होने के एक वर्ष बाद भी अपूर्ण पड़े थे !

अतः विभागीय शिथिलता के कारण `लाख की धनराशि व्यय किए जाने के 97.83 उपरांत भी सैनिक विश्राम गृहों का निर्माण कार्य पूर्ण नकिये जाने संबंधी प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है!

भाग दो–ब

प्रस्तर 2 : द्वितीय विश्व युद्ध के पेंशन योजना के लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन के अभाव में ` 245.53 लाख की धनराशि का अनियमित भुगतान तथा 10 लाभार्थियों को ` 4.58 लाख के पेंशन की धनराशि का भुगतान न किया जाना।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सेना में कमी करने के कारण अथवा द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के कारण शारीरिक रुप से अक्षम होने पर सेवामुक्त कर दिये गये उत्तराखण्ड में निवास करने वाले सैनिकों अथवा उनकी विधवाओं के भरण पोषण के लिए `4,000/ प्रतिमाह की दर से मासिक पेंशन निम्नलिखित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान किया जाता है;

1. पेंशन का भुगतान ग्राम प्रधान द्वारा जीवित होने के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा।

2. कम से कम छः माह में एक बार सम्बन्धित जनपद के जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी का भौतिक सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

कार्यालय के द्वितीय विश्व युद्ध पेंशन योजना से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच के दौरान पाया गया कि जनपद में वर्तमान में 154 लाभार्थी पेंशन प्राप्त कर रहे थे। सभी लाभार्थीयों को त्रैमासिक आधार पर पेंशन का भुगतान नहीं किया गया था। भुगतान पंजिका की जॉच में पाया गया कि अधिकतर लाभार्थी को 06 माह से लेकर 27 माह तक के पेंशन का भुगतान एक बार में किया गया है। आगे जॉच में यह भी पाया गया कि कम से कम छः माह के अन्तराल में प्रत्येक लाभार्थी का भौतिक सत्यापन नहीं कराया जा रहा था। पेंशन का भुगतान ग्राम प्रधान से प्राप्त जीवित प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया था। यह भी पाया गया कि निम्न लाभार्थियों को विगत 01 से 02 वर्षो से पेंशन का भुगतान नहीं किया गया था;

क. सं.	लाभार्थी का नाम	पेंशन कमांक	भुगतानित पेंशन का अंतिम माह	10/2016 तक भुगतान हेतु बकाया माह की संख्या	बकाया माहों की धनराशि
1	अमरदेई	171	12/2015	10	38000
2	सबदेई	220	02/2015	20	68000
3	काली देबी	285	02/2016	08	32000
4	सूरजा देबी	289	12/2015	10	38000
5	रामेश्वरी देबी	374	08/2014	26	86000
6	गैणा देबी	479	01/2016	09	35000
7	बसन्ती देबी	551	02/2016	08	32000
8	रुपा देबी	859	12/2015	10	38000
9	मामा देबी	862	02/2016	08	32000
10	भाग देबी	866	05/2015	17	59000
	कुल योग				**4,58,000**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रत्येक लाभार्थी का छः माह के अन्तराल पर भौतिक सत्यापन नहीं किया जाता। इस प्रकार से भौतिक सत्यापन के अभाव में कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा अवधि 03/2013 से 10/2016 तक के दौरान इन लाभार्थियों को पेंशन के रुप में ` 245.53 लाख की धनराशि का अनियमित भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त उपरोक्त लाभार्थियों को पेंशन भुगतान किये जाने में विलम्ब किये जाने से लेखापरीक्षा तिथि नवम्बर 2016 तक कुल धनराशि ` 4.58 लाख के पेंशन का भुगतान नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि कार्यालय स्तर पर यह प्रयास किया जाता है कि सभी पेंशन भोगियों का सत्यापन सुनिश्चित किया जाय परन्तु यह सम्भव नहीं हो पाता। आपत्ति में इंगित पेंशन भोगियों का जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण पेंशन भुगतान नहीं किया जा सका तथा यह भी अवगत कराया कि शीघ्र ही इनका भौतिक सत्यापन करवाते हुए पेंशन अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

अतः द्वितीय विश्व युद्ध के पेंशन योजना के लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन के अभाव में ` 245.53 लाख की धनराशि का अनियमित भुगतान तथा 10 लाभार्थियों को ` 4.58 लाख के पेंशन की धनराशि का भुगतान न किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(इस भाग में विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर
----------------Nil--------------			

(इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा दल द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या निम्न प्रारूप में दो प्रतियों में प्राप्त कर अपनी टीका सहित भाग-III के नीचे लगाकर निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ मूल रूप में संलग्न कर मुख्यालय को प्रेषित की जाय। मुख्यालय पर संबंधित क्षेत्र द्वारा अनुपालन आख्या विचारोपरान्त वर्गाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करते समय निस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में से हटा दिया जाय। मात्र अनिस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में रखा जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
--------------------Nil------------------				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

------------------------ शून्य-------------------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, नई टिहरी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः **-** शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः-** शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**
i	ले. कमाण्डर दीपक खण्डूरी	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, नई टिहरी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)